फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जिनेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 23/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/268–269 दिनांक 02.03.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 23.12.2019 व अनुभाग को 27.12.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 02 के संबंध में आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई अवधि की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने से दिया जाना संभव नही होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(8)(1) के तहत प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/944 दिनांक 30.12.2019 से पत्र प्रेषित कर समयावधि में सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई अवधि की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध नही कराई जा सकी हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को यथा समय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के द्वारा सूचित किया जा चुका हैं।

अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)